भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

मार्च 2026
वर्ष 40 संख्या 3
मूल्य 5 रुपये

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी का वक्तव्य

ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले का एकताबद्ध विरोध करें!

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए ईरान पर अमेरिका व इजराइल के हमले और ईरान के सर्वोच्च नेता सैय्यद अली खामेनेई की कायरतापूर्ण हत्या की कड़ी निंदा करती है। अमेरिका–इजराइल के हमलों में एक स्कूल सहित नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया, जहाँ लगभग 150 छात्रों की हत्या कर दी गई। इन हमलों के जवाब में आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ईरान ने इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव तथा इजराईल के अन्य केन्दों से और अमेरिकी ठिकानों पर इमारतों के विनाश की खबरें आई हैं। अमेरिका व इजराइल के हमलों ने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक दिया है।

अमेरिका और उसके करीबी साझीदार इजराइल ने ईरान पर यह हमला उस समय किया जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी और कथित तौर पर इस बातचीत में प्रगति हो रही थी। इससे स्पष्ट है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा ट्रम्प प्रशासन द्वारा केवल जनता को धोखा देने के लिए उठाया जा रहा था और उठाया जा रहा है जबकि वास्तविक मुद्दा यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में शासन परिवर्तन चाहते हैं। यह ट्रम्प के इस कथन "समर्पण करो या नष्ट हो जाओ" से स्पष्ट है। अमेरिका द्वारा ईरान में लोकतंत्र की बात करना उस ऐतिहासिक तथ्य के विपरीत है कि 1953 में सीआईए ने ईरान की निर्वाचित सरकार को गिराकर एक हत्यारी राजशाही स्थापित की थी, जिसे 1979 में ईरान की जनता ने उखाड़ फेंका था। अमेरिका ईरान में एक अधीनस्थ निरंकुश शासन थोपने की कोशिश में लगा है।

यह हमला लेबनान और सीरिया पर इजराइल के हमलों, यमन पर अमेरिका के नेतृत्व में हमलों और सीरिया में शासन परिवर्तन के बाद किया गया है। यह हमला, इजराइल के शासकों द्वारा जायोनी आक्रामकता और विस्तार के खिलाफ प्रतिरोध की शक्तियों को अंतिम चोट पहुँचाने के उद्देश्य से है। इसें अमेरिकी शासक वर्ग का समर्थन प्राप्त है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया है कि अमेरिका न केवल ऐतिहासिक फिलिस्तीन बल्कि लगभग पूरे मध्य पूर्व– नील नदी से फरात नदी तक– पर इजराइल के कब्जे का समर्थन करता है। यह हमला पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के हिस्सों को समेटने वाली "ग्रेटर इजराइल" परियोजना का हिस्सा है। यह हमला फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरी तरह कुचलने के लिए है।

जहाँ इजराइल की जायोनी हत्यारी व्यवस्था को अमेरिकी शासकों का समर्थन लंबे समय से और दोनों दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा मिलता रहा है, वहीं ट्रम्प प्रशासन ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब उसकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों को जनता का कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। उसके टैरिफ (आयात करों) को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है; प्रवासी मजदूरों के खिलाफ आईसीई एजेंटों के उपयोग का जनता विरोध कर रही है और एपस्टीन फाइलें उसके गले का फंदा बन गई हैं। घरेलू स्तर पर अपनी नीतियों के बिखराव के बीच ट्रम्प दुनिया भर में हमले कर अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उसके प्रशासन का वेनेजुएला पर आधी रात का हमला और राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण, क्यूबा को झुकाने के लिए निशाना बनाना और अब अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पूर्ण उल्लंघन करते हुए ईरान पर यह घृणित– किसी उकसावे के बिना और पूरी तरह से अवैध हमला– सब अमेरिकी राजनीति का एजेंडा बदलने के उद्देश्य से हैं। अमेरिका की जनता को ट्रम्प प्रशासन की इस साजिश को समझना चाहिए और इस हमले का विरोध करना चाहिए। जनता के अधिकार अंततः अविभाज्य होते हैं; जो देश अन्य देशों पर अत्याचार करता है, वह आंतरिक उत्पीड़न और शोषण से मुक्त नहीं हो सकता।

ट्रम्प प्रशासन दुनिया पर नियंत्रण की खुली घोषणा और प्रयासों में पूरी तरह निर्लज्ज रहा है। वह अन्य देशों को उपनिवेशी शासन के अधीन लाने की बात कर रहा है। उसके विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों से अपने उपनिवेशी अतीत पर शर्मिंदा न होने का आह्वान किया, बल्कि कोलंबस से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक पश्चिमी देशों द्वारा उपनिवेशी प्रभुत्व को पश्चिमी सभ्यता की कथित महानता का कारण बताया। ट्रम्प प्रशासन इतिहास के पहियों को पीछे घुमाकर दुनिया को पश्चिमी साम्राज्यवाद के उपनिवेशी शासन में धकेलना चाहता है।

ट्रम्प दरअसल एक फासीवादी है। एक फासीवादी के रूप में वह भोले–भाले लोगों को धोखा देने और अंतहीन युद्धों से तंग आ चुकी अमेरिकी जनमत को शांत करने के लिए स्वयं को शांति का राष्ट्रपति बताता है। अब अपने दूसरे तथा अंतिम कार्यकाल में और संसद के दोनों सदनों में बहुमत के साथ वह अपने उपनिवेशी दाँत दिखा रहा है और विश्व शांति को खतरे में डालते हुए दुनिया भर में युद्ध छेड़ रहा है। उसने युद्ध शुरु न करने का मुखौटा उतार फेंका है तथा विश्व प्रभुत्व के नवउदारवादी एजेंडा पर आगे बढ़ रहा है। वह देश के भीतर उत्पीड़न और विदेशों में आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु हिटलर की तरह उसका सपना भी जनता द्वारा पराजित और चकनाचूर किया जाएगा।

ईरान पर हमला मध्य पूर्व और विश्व में अमेरिकी साम्राज्यवादी की साजिशों का हिस्सा है। दुनिया के लोगों और देशों को एकजुट होकर इस सड़े–गले प्रतिक्रियावादी प्रयास का विरोध करना चाहिए जो दुनिया भर में उपनिवेशी शासन थोपना चाहता है। ईरान की जनता और सरकार को आत्मरक्षा का वैध अधिकार है और उन्हें दुनिया भर की जनता का समर्थन मिलना चाहिए। सीपीआई (एम–एल) न्यू डेमोक्रेसी ईरान की जनता और सरकार का इस हमले के खिलाफ आत्मरक्षा में समर्थन करती है। सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों के संघर्ष का पूर्ण समर्थन करती है। सभी देशों की जनता को ईरान की जनता और सरकार के इस वैध संघर्ष का समर्थन करना चाहिए।

यह हमला बहुध्रुवीय विश्व पर भी हमला है, इसलिए जो देश स्वयं को बहुध्रुवीय विश्व का समर्थक बताते हैं– जैसे रूस, चीन और अन्य देश– उन्हें आगे आकर ईरान की आत्मरक्षा का समर्थन करना चाहिए; केवल इस आक्रमण की निंदा ही नहीं बल्कि इस युद्ध में ईरान को आवश्यक हर प्रकार का समर्थन भी देना चाहिए।

इजराइल और अमेरिका ने यह हमला भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के तुरंत बाद किया है। ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए यह भारत की जनता का अपमान है। जहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली आरएसएस ने भारतीय जनता के औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष में भाग नहीं लिया था, वहीं उपनिवेशी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का समर्थन भारतीय जनता के संघर्षों की विरासत का हिस्सा रहा है।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी इस हमले को दुष्ट मंसूबों से प्रेरित, मानवता और देशों की संप्रभुता के खिलाफ हमला मानती है। सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी भारत की जनता से इस हमले का विरोध करने का आह्वान करती है। हमें 2 मार्च से इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने चाहिए। ये विरोध जहाँ संभव हो, इस हमले की निंदा करने वाली अन्य शक्तियों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जा सकते हैं तथा किये जाने चाहिएं।

(सीपीआई (एम-एल)-न्यू डेमोक्रेसी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा 1 मार्च, 2026 को जारी)

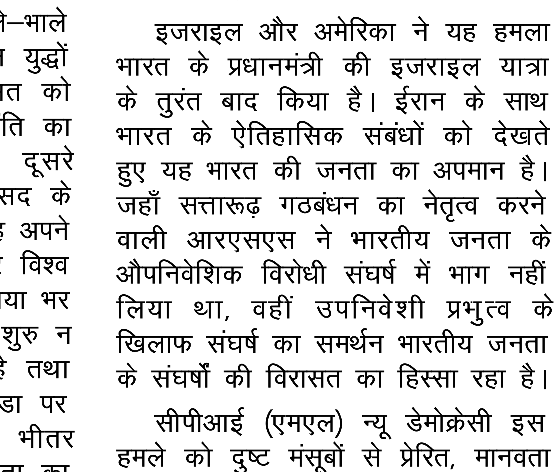

मार्च 2, 2026 : सी.पी.आई.(एम-एल)-न्यू डेमोक्रेसी द्वारा ईरान पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। बायें प्रयागराज, मध्य सासाराम (संयुक्त प्रदर्शन), दायें मुजफ्फरपुर

इण्डियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) की राष्ट्रीय कमेटी एकताबद्ध, व्यापक, ऊर्जावान हड़ताल पर मजदूर वर्ग को सलाम करती है!

4 लेबर कोड को निरस्त करवाने के लिए निरंतर संघर्ष को तेज करें!

इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी भारत के मजदूर वर्ग को केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकतम ट्रेड यूनियन केंद्रों और स्वतंत्र फेडरेशनों द्वारा आह्वान की गई एक दिवसीय हड़ताल के व्यापक और ऊर्जावान क्रियान्वयन पर बधाई और सलामी देती है। यह मोदी केंद्र सरकार को 4 लेबर कोड को निरस्त करने का जोरदार आह्वान है। विभिन्न राज्यों में और यहां तक कि एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, ट्रेड यूनियनें एक साथ आईं और उद्योगों, औद्योगिक क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया और कई जगहों पर बड़ी मजदूर सभाएं आयोजित कीं। असंगठित क्षेत्रों के अलावा, कोयला कर्मचारियों और बैंक तथा LIC कर्मचारियों ने कई क्षेत्रों में हड़ताल की, जबकि NTPC रामगुंडम के सभी ठेका मजदूरों ने भी काम बंद कर दिया। हम उन सभी ट्रेड यूनियनों को बधाई देते हैं जो मोदी सरकार के मजदूर विरोधी हमले के खिलाफ एक गंभीर संयुक्त एक दिवसीय हड़ताल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर एक साथ आईं और उनसे 4 कोड को निरस्त करने के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखने की अपील करते हैं।

इफ्टू इकाइयों ने इस आह्वान पर हड़ताल का आयोजन किया कि 4 लेबर कोड मजदूरों के लिए नहीं हैं, वे कॉरपोरेट के लिए हैं।

तेलंगाना में, सिंगरेनी कोयला खदानों ने पूर्ण हड़ताल हुई और सभी यूनियनों ने अपने प्रदर्शन किए। NTPC रामगुंडम में ठेका मजदूरों (स्थायी मजदूरों की संख्या बहुत कम है) ने पूर्ण हड़ताल की। बैंक बंद थे और BMS के अलावा सभी यूनियनों द्वारा LIC में हड़ताल हुई। सभी असंगठित क्षेत्रों में हड़ताल थी और हैदराबाद में एक विशाल संयुक्त रैली निकाली गई। चल रहे नगरपालिका चुनावों के कारण, कुछ जिलों में मजदूरों के मार्च की अनुमति नहीं दी गई।

आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में आम हड़ताल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इफ्टू ने आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में हड़ताल में भाग लिया। विजयनगरम जिले में नेल्लीमरला जूट मिल सभी मजदूरों की हड़ताल में भागीदारी के कारण बंद थी। मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों जैसे ऑटो–मोटर, गैस वितरण, पुरानी सामग्री स्क्रैप एकत्रीकरण और ग्रेडिंग कर्मचारियों और फेरीवालों ने भाग लिया।

एलुरु में, इफ्टू और AITUC यूनियनों ने संयुक्त रूप से 1500 लोगों की रैली निकाली, जिसमें से 1100 से अधिक लोग इफ्टू से थे। इफ्टू के नेतृत्व में एलुरु, कुरनूल, अनंतपुर और पूर्वी गोदावरी जिलों में नगरपालिका और पंचायत कर्मचारियों, और तिरुपति, चित्तूर, अन्नमैया और पश्चिम गोदावरी जिलों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों, तिरुपति और चित्तूर जिलों में आशा और मध्यान्न भोजन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। हमने सभी जिलों में संयुक्त प्रदर्शनों में भाग लिया। तिरुपति जिले में 1000 से अधिक इफ्टू सदस्यों ने प्रदर्शनों में भाग लिया, चित्तूर जिले में 500। अन्नमैया जिले में, नंद्याल में, कुरनूल में, अनंतपुर में, प्रकाशम, नेल्लोर में, गुंटूर, विजयवाड़ा में संयुक्त रैलियों में अच्छी भागीदारी रही। पश्चिम गोदावरी में 2500 ने भाग लिया, पूर्वी गोदावरी में 200, विशाखापत्तनम में 450, विजयनगरम में, मान्यम में, और श्रीकाकुलम में संयुक्त रैलियों में अच्छी भागीदारी थी। कुल मिलाकर, इस बार हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूरों की कुल संख्या पहले की हड़ताल से दोगुनी थी। सामान्य रूप से औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ–साथ बैंक, LIC और नगरपालिका क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

पश्चिम बंगाल में लगभग 95% जूट मिलों में पूर्ण हड़ताल हुई जिसमें डलहौजी जूट मिल, जूटेक्स इंडिया, एंगस जूट, इंडिया जूट मिल शामिल हैं। इंडिया कॉटन मिल में (जहां इफ्टू सचिव को प्रबंधन द्वारा एक साल से निलंबित किया गया है) तीन विभागों ने प्रबंधन की धमकियों और फैक्ट्री गेट पर पुलिस बल की तैनाती की अनदेखी करते हुए अपने काम पर नहीं गए। हुगली औद्योगिक बेल्ट में, इफ्टू के नेतृत्व में जयश्री टेक्सटाइल्स में पूर्ण हड़ताल पर रही, हालांकि रात की पाली के 40 मजदूरों को प्रबंधन द्वारा जबरन रोक लिया गया था। इन मजदूरों ने औद्योगिक क्षेत्र में रैली निकाली और बंदी सुनिश्चित की। जयश्री इंसुलेटर्स, अनमोल बिस्कुट और भागवती बिस्कुट भी दिल्ली रोड, दानकुनी की अन्य फैक्ट्रियों के साथ पूर्ण हड़ताल पर थे। 65% होजरी फैक्ट्रियों ने पूर्ण हड़ताल मनाई। हड़ताल के कारण आज पश्चिम बंगाल में बैंक और बीमा सेवाएं लगभग ठप्प हो गईं। ECL कोयला क्षेत्रों में आंशिक हड़ताल हुई। ऐसा ही चाय बागानों में भी हुआ। दोनों क्षेत्रों में TMC यूनियनों ने मजदूरों के धरने का बाधित करने की कोशिश की।

इफ्टू और अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने *पंजाब* भर में चार लेबर कोड के खिलाफ बड़ी सार्वजनिक सभाएं आयोजित कीं। PMU, ZPSC और मुलाजम फ्रंट ने नवांशहर में विशाल सभा सहित कई जगहों पर भाग लिया। इफ्टू ने गुरदासपुर, रोपड़, पठानकोट, मलोट, गढ़शंकर, पटियाला, अबोहर, फाजिल्का और राज्य के लगभग सभी जिलों में कई अन्य स्थानों पर संयुक्त सभाओं में भाग लिया। अन्य संगठनों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और हड़ताल के आह्वान में व्यापक भागीदारी हुई।

झारखंड में, BCCL धनबाद के कोयला मजदूरों ने पूर्ण हड़ताल की। HEC रांची के श्रमिकों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। (HEC वैसे भी बंद है) UCIL में इफ्टू यूनियन ने आज सुबह काले बिल्ले वितरित किए और पहने। दोपहर में जादूगोड़ा मुख्य कार्यालय में एक प्रदर्शन किया गया।

बिहार में इफ्टू यूनियन के स्थायी कर्मचारियों और ठेका मजदूरों ने NTPC कहलगांव में काले बैज पहने। सासाराम में, इफ्टू की ऑटो यूनियन और AIKMS ने 4 लेबर कोड और जी राम जी योजना के खिलाफ मार्च किया जो MGNREGA को प्रतिस्थापित करती है। SKM और TU की संयुक्त रूप से शहरों में रैलियां निकाली गईं।

दिल्ली में, ओखला, मयापुरी और मंगोलपुरी के निजी औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां सेवा और वाणिज्यिक इकाइयों के साथ लघु स्तर की विनिर्माण उद्योग हैं, हड़ताल हुई और इफ्टू और अन्य CTUs की संयुक्त रैलियां क्षेत्र में आयोजित की गईं। मयापुरी में, संयुक्त रैली ने क्षेत्र के फेस 2 को बंद कर दिया और फिर फेस 1 में प्रवेश किया, जहां वैसे भी मालिकों ने स्वयं 80 प्रतिशत इकाइयों को बंद कर दिया था। इस फेस में एक संयुक्त सभा आयोजित की गई। मंगोलपुरी में संयुक्त रैली ने फेस 1 को बंद कर दिया और जुड़े हुए उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र में भी हड़ताल लागू की। ओखला में, फेस 2 में एक केंद्र को संयुक्त रूप से एक घंटे से अधिक समय तक जाम किया गया, फिर संयुक्त रैली ने फेस 2, फेस 1 के एक ब्लॉक से होकर मार्च किया और समापन में एक सभा की।

ओडिशा में इफ्टू से संबद्ध यूनियनों ने अस्पताल क्षेत्र, नगरपालिकाओं, आदित्य बिड़ला खदानों में विरोध प्रदर्शन किया। बहरामपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

अन्य राज्यों में इफ्टू इकाइयों ने भी विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन किए, कुछ स्थानों पर SKM के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम किये गये।

सभी राज्यों में इफ्टू नेताओं ने 4 लेबर कोड के खिलाफ निरंतर संघर्ष को तब तक जारी रखने का आह्वान किया जब तक कि वे निरस्त नहीं किये जाते। उन्होंने सभी स्तरों पर मजदूर वर्ग के सभी केंद्रों पर हर सप्ताह एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया, सप्ताह दर सप्ताह, जब तक कोड निरस्त नहीं किये जाते। उन्होंने सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों से इन विरोध प्रदर्शनों को संयुक्त विरोध प्रदर्शनों के रूप में करने और 4 कोड के निरस्त होने तक संघर्ष को तेज करने की अपील की।

राष्ट्रीय कमेटी इफ्टू कृषि श्रमिक संगठनों और SKM के वी.बी. जी राम जी अधिनियम और बिजली विधेयक को निरस्त करने के लिए संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। हम कॉरपोरेट समर्थक मोदी सरकार की निंदा करते हैं जो 4 लेबर कोड के साथ भारत के मजदूर वर्ग को गुलाम जैसी स्थितियों में धकेलने की कोशिश कर रही है। जी राम जी के साथ यह ग्रामीण मजदूरी को कम करने और ग्रामीण जनता को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है ताकि कॉरपोरेट के शोषण के लिए सस्ते श्रम की पंक्तियों में वृद्धि हो सके। बिजली विधेयक क्षेत्र के निजीकरण (कॉरपोरेटीकरण) के लिए है और आम लोगों को लूटने के लिए है।

मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का मजदूर वर्ग विरोधी चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया है। हम मजदूर वर्ग से संघर्ष को तेज करने और 4 मजदूर विरोधी कोड को निरस्त करने के लिए मजबूर करने का आह्वान करते हैं।

(इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव का टी. श्रीनिवास द्वारा 12 फरवरी 2026 को दिया गया बयान)

ईरान पर अमेरिका-इजराईल के हमले के खिलाफ 3 मार्च 2026 को दिल्ली में जंतर मंतर पर सी.पी.आई. (एम-एल)-न्यू डेमोक्रेसी, वाम पार्टियों तथा नागरिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते पार्टी के दिल्ली प्रवक्ता का. मृगांक।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के प्रकाशन

न्यू डेमोक्रेसी	(अंग्रेजी)
प्रतिरोध का स्वर	(हिन्दी)
राइजिंग न्यू डेमोक्रेसी	(तेलुगु–तेलंगाना)
प्रजापंधा	(तेलुगु–आंध्र प्रदेश)
विप्लवी गण लाइन	(बंगला)
इंकलाबी साडा राह	(पंजाबी)
संग्रामी एकता	(ओडिया)

अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा आर.एस.एस.-भाजपा सरकार द्वारा आत्मसमर्पण है

सी.पी.आई (एम–एल)–न्यू डेमोक्रेसी संयुक्त राज्य अमेरिका–भारत संयुक्त वक्तव्य की कड़ी निंदा करती है, जिसमें अमेरिका व भारत के बीव व्यापार पर अंतरिम समझौते के ढांचे की घोषणा की गई है और इसमें शामिल किए जाने वाली प्रमुख शर्तों को बताया गया है। यह वक्तव्य 6 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतरिम समझौते के ढांचे का स्वागत किया है।

यह ढाँचा भारतीय उद्योग, कृषि और डेयरी क्षेत्रों–वास्तव में पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था– के लिए गंभीर और अशुभ संकेतों से भरा है। यह आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा अमेरिकी कॉरपोरेट हितों के सामने आत्मसमर्पण की ओर इशारा करता है। भारतीय जनता के साथ इस विश्वासघात से ध्यान भटकाने के लिए सरकार–समर्थक मीडिया उस भारत के नक्शे को उछाल रहा है, जिसे इस घोषणा के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया है और जिसमें पीओके तथा अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रम्प द्वारा किए जाने वाले दिखावटी प्रदर्शन को देखते हुए इसका खास अर्थ नहीं है, लेकिन अमेरिका–भारत अंतरिम समझौते का हिस्सा बनाने पर जिन प्रमुख शर्तों पर सहमति बनी है, उनके देश की जनता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।

यह आत्मसमर्पण कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक निराशाजनक तस्वीर पेश की है– घटती विकास दर, बढ़ता सरकारी कर्ज, कृषि विकास और रोजगार सृजन में गिरावट, तथा सामाजिक व्यय में हर स्तर पर कटौती। अपनी आर्थिक उपलब्धियों की पीठ थपथपाने के बावजूद, आरएसएस–भाजपा सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की बदहाली को छिपा नहीं सकी, जहाँ असंगठित औद्योगिक क्षेत्र और कृषि– जो श्रम के सबसे बड़े नियोक्ता हैं– को सबसे बड़ा झटका लगा है। आरएसएस–भाजपा सरकार ने अपने 11 वर्षों से अधिक के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस दयनीय स्थिति में धकेल दिया है, उसे देखते हुए यह आत्मसमर्पण कोई आश्चर्य नहीं है। वास्तव में, भारतीय सरकार ने अमेरिकी प्रशासन की कई मांगों के आगे घुटने टेक दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछले वर्ष के बजट में किया था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बार फिर 1991 जैसा क्षण है, और भारतीय शासक वर्ग आर्थिक क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे और गहरे समर्पण का रास्ता अपना रहा है, जिसके राजनीतिक निहितार्थ भी होंगे। इस बार दांव और भी ऊँचे हो सकते हैं, क्योंकि शिकारी वित्तीय पूँजी भारतीय जनता– विशेषकर किसानों– को निगलने के लिए अपने पंजे तेज कर रही है। आरएसएस–भाजपा सरकार पहले ही चार श्रम संहिताओं और वीबी–ग्रैमजी (VB-GRAMG) के रूप में शहरी मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर चुकी है, जो साम्राज्यवादी देशों के कॉरपोरेट और उनके दलालों– भारतीय कॉरपोरेट– की सेवा में हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 फरवरी को भारत से होने वाले आयात पर शुल्क (टैरिफ) की दर घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की थी और इसके पीछे भारतीय सरकार की कई मुद्दों पर कथित प्रतिबद्धताओं का दावा किया था। हालांकि भारतीय सरकार ने शुरुआत में इस टैरिफ कटौती की घोषणा पर केवल ट्रम्प को धन्यवाद देने तक ही खुद को सीमित रखा, लेकिन यह ढांचा उस घोषणा के बाद जनता की सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि करता है। जहाँ कुछ स्थानों पर जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है, वहीं इस ढांचे में की गई प्रतिबद्धताएँ परतें हटाकर वास्तविक तस्वीर को साफ कर देती हैं।

हालाँकि रूस से तेल खरीद रोकने का इस ढ़ांचे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह प्रतिबद्धता जरूर जताई गई है कि "भारत अगले पाँच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएँ, प्रौद्योगिकी उत्पाद तथा कोकिंग कोयला खरीदने का इरादा रखता है।" पिछले कई महीनों में रूस से तेल खरीद में आई गिरावट को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि भारत अमेरिका से अधिक महंगे ऊर्जा उत्पाद खरीदने के आगे झुक चुका है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं भी हो सकती और चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी दिशा पूरी तरह साफ कर दी गई है।

इन प्रतिबद्धताओं में सबसे खतरनाक प्रतिबद्धता पहली ही है: "भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं तथा अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला पर टैरिफ समाप्त करेगा या कम करेगा, जिनमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDG), पशु आहार के लिए रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स तथा अन्य अतिरिक्त उत्पाद शामिल हैं।" विशेष रूप से "खाद्य और कृषि उत्पादों की व्यापक श्रृंखला" ... "अतिरिक्त उत्पाद" का उल्लेख बेहद गंभीर है। इस प्रतिबद्धता के आलोक में मोदी और अन्य मंत्रियों द्वारा किसानों के हितों की रक्षा करने का दावा पूरी तरह खोखला साबित होता है। यह याद रखना चाहिए कि तीन काले कृषि कानूनों के समय भी मोदी और उनके मंत्रियों ने यही दावा किया था कि वे कानून किसानों के हित में लाए गए थे। आरएसएस–बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय बाजार में भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पाद थोपने की योजना बना रही है, जो नकारात्मक सब्सिडी से जूझ रही संकटग्रस्त भारतीय कृषि को तबाह किए बिना नहीं रह सकता। इसका सीधा असर 17.2 करोड़ कृषि परिवारों पर पड़ेगा, जिनमें से 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। उद्योग के क्षेत्र में यह अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं के लिए खुली छूट देने जैसा है, जिससे भारतीय उद्योग का भविष्य गंभीर खतरे में पड़ जाएगा।

यह सहमत ढांचा भारतीय जनता के लिए तबाही का संकेत है। यह बात इस समझौते पर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ग्रीयर द्वारा किए गए दावे से भी साफ हो जाती है: "राष्ट्रपति ट्रम्प की सौदेबाजी अमेरिका के मजदूरों और उत्पादकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक को खोल रही है, जिससे सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला पर टैरिफ घटाए जा रहे हैं।" यह "सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक" वही देश है जिसकी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है, जो मानव विकास के कई सूचकों में सबसे निचले पायदान पर है, और जहाँ बेहद गरीब, बेसहारा तथा बुनियादी मानवीय जीवन से वंचित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है।

भारत ने ब्रिटेन के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है, यूरोपीय संघ के साथ तथाकथित "मदर ऑफ ऑल डील्स" किया है, और अब यह अंतरिम समझौते का यह ढांचा– जो आगे चलकर "फादर ऑफ ऑल डील्स" की ओर ले जाता है– यह साफ दिखाता है कि भारत साम्राज्यवादियों के लिए एक खुला शिकारगाह बन चुका है। भारत पर शासन कर रही सरकार न तो भारत के हितों की रक्षा कर रही है और न ही वह अपने मेहनतकश लोगों के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। यह एक निर्लज्ज विश्वासघात है, जिसे खुलकर बेनकाब किया जाना चाहिए। इसकी बातचीत और सौदेबाजी के लिए जिम्मेदार लोग– यानी मोदी सरकार, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं– को जनता के सामने जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

यह ढांचा भारत, उसकी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों तथा उसकी सस्ती मजदूरी से पैदा होने वाले उत्पादों की पूरी तरह से बिक्री (सेल–आउट) की ओर ले जाएगा। आरएसएस ने जानबूझकर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष से खुद को अलग रखा था– उस संघर्ष से जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, और उससे पहले तथा बाद के विद्रोहों में, एक ऐसे संघर्ष में जिसमें हजारों लोगों को फाँसी दी गई और दसियों हजारों को जेलों में बंद किया गया। आरएसएस के लिए औपनिवेशिक शासन का अंत कोई मायने नहीं रखता था। साम्राज्यवाद का विरोध आरएसएस की शब्दावली में है ही नहीं। वे भारत को मिली जो भी आजादी है, उसे नष्ट करने पर आमादा हैं।

इस ढांचे की सामग्री और आरएसएस–भाजपा सरकार द्वारा जिन शर्तों पर सहमति दी गई है, उनके निहितार्थ जनता के सामने लाए जाने चाहिए। भारत के मजदूर और किसान 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं। इस समझौते के खतरे को इस हड़ताल संघर्ष के प्रचार का एक अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी इस ढांचा समझौते के प्रावधानों की जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी समझते हुए कड़ी निंदा करती है और सभी विपक्षी दलों, विशेषकर कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों, का आह्वान करती है कि वे मजबूत प्रतिरोध खड़ा करें ताकि इस ढांचे को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए।

अब कार्रवाई की जरूरत बहुत देर से महसूस की जा रही है। कार्रवाई का समय अब है।

(सी०पी०आई० (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 7 फरवरी 2026 को जारी)

असम मजूरी श्रमिक यूनियन का सम्मेलन

असम मजूरी श्रमिक यूनियन (एनटनयूआई से सम्बंधित) का राज्य सम्मेलन सम्मेलन 7 व 8 फरवरी 2026 को असम में जोरहाट में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में प्रांत के विभिन्न जिलों से असम मजूरी श्रमिक यूनियन के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने यूनियन के काम तथा आंदोलन की समीक्षा की तथा आगे आंदोलन की योजना तैयार की। सम्मेलन ने कार्यकारिणी की कार्य रिपोर्ट पारित की तथा नयी कार्यकारिणी का चुनाव किया।

फसल आयात घरेलू बाजारों को नुकसान पहुँचाएगा, भारतीय कृषि को बर्बाद करेगा

भारत–अमेरिका व्यापार समझौते का ढांचा अमेरिका के

आशीष

भारतीय कृषि और घरेलू बाजारों की सुरक्षा और विकास तथा ग्रामीण भारत की आजीविका के साधनों को सुरक्षित करना लोगों के आर्थिक विकास की कुंजी है। यह भारत–अमेरिका 'सौदा' उस पर एक और करारा प्रहार करता है।

6 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति होने की अचानक, एकतरफा, आधी रात की घोषणा ने भारत को साम्राज्यवादी अतिमहाशक्ति अमेरिका के सामने अधीनता के एक नए स्तर से अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–बीजेपी सरकार ने बिना कोई विवरण बताए इस सौदे को शब्दशः स्वीकार कर लिया। सस्ते खाद्य आयात की संभावित बाढ़ पर और प्रधानमंत्री के इस दावे कि "कृषि और किसानों के हितों की रक्षा के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने को तैयार हूँ", पर सवाल उठे। बीता हुआ वर्ष 'मजबूत स्थिति से बातचीत' के दावे करते हुए बिताया गया था क्योंकि हर कोई 'भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था'। लेकिन कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद कोई उत्तर नहीं मिला, और अधिकारी दर अधिकारी शर्मनाक तरीके से जिम्मेदारी एक–दूसरे पर डालते रहे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी और उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी।

श्री मोदी पिछले वर्ष इसी समय अमेरिका गए थे, लेकिन बिना किसी आश्वासन के लौट आए। तब से केवल शुल्क लगाने और दंडात्मक शुल्कों की चर्चा रही। कुछ समय से 'मेरे प्रिय मित्र' ही सारे फैसले कर रहे थे और अब भारत का विनम्र आत्मसमर्पण अचानक से सामने आया। इसलिए अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। क्या एपस्टीन ने उन्हें झुलसा दिया? या अडानी के खिलाफ फंड हेरफेर के वारंट और एनएसए डोभाल के खिलाफ आपराधिक मामले कारण थे? या फिर वास्तव में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के स्वामी होने का गहरा आत्मविश्वास था जिससे लाभ होने वाला था? प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि संसद में भी नहीं, जो भारत की वार्षिक आर्थिक योजना पर चर्चा के लिए सत्र में है। यह सौदा भारतीय कृषि और उस पर निर्भर आजीविका के लिए विनाश लाएगा। इसने देश की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को और अधिक खतरे में डाल दिया है।

अमेरिकी टीम ने अपनी जीत की भावना को खुले तौर पर व्यक्त किया है। उनके बयान कई शर्तों को उजागर करते हैं। भारत में अमेरिकी मिशन ने 10 फरवरी 2026 को कहा कि "भारत 1.4 अरब से अधिक लोगों के अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलेगा" और यह कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता "अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों के लिए लाभों को स्थायी करेगा"। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स ने खुले तौर पर दावा किया कि यह सौदा अमेरिका को "अपने कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने, कीमतें बढ़ाने और ग्रामीण अमेरिका में नकदी प्रवाहित करने" की अनुमति देता है। अमेरिका ने खुले तौर पर घोषणा की है कि वह भारत को कोई व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) नहीं होने देगा, जो वर्तमान में लगभग 40 अरब डॉलर है। भारत को हर साल 100 अरब डॉलर के जबरन आयात के साथ घाटे के व्यापार में धकेला जाएगा।

श्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी दावों का खंडन नहीं किया है। उन्होंने केवल यह स्पष्ट किया है कि "कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारतीय किसानों और एमएसएमई को अमेरिकी बाजारों में शुल्क–मुक्त प्रवेश मिला है।" मुद्दा 'कई क्षेत्र' का नहीं है। यह हमारे किसानों की बुनियादी आजीविका सुरक्षा और देश की कृषि व खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है। स्पष्ट है कि भारत सरकार अमेरिकी फरमानों का सामना करने में न तो सक्षम है और न ही इच्छुक। इस तरह की समर्पण भावना ने किसान समुदाय और देशभक्त शक्तियों में गंभीर आक्रोश पैदा किया है और एसकेएम ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को बर्खास्त करने की मांग की है।

शुल्क में कटौती : जहाँ भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 30 फीसदी से 150 फीसदी तक, औसतन 37 फीसदी शुल्क को शून्य तक लाने पर सहमति दी है, वहीं अमेरिका अब भारतीय कृषि उत्पादों पर 18 फीसदी शुल्क लगाएगा, जो पहले के औसत 2.5 फीसदी से लगभग 7 गुना अधिक है। इस 18 फीसदी वृद्धि को भारतीय सरकारी वार्ताकार श्री ट्रंप द्वारा भारत पर दबाव डालने के लिए लगाए गए 50 फीसदी शुल्क से राहत के रूप में पेश कर रहे हैं, जो केवल यह दर्शाता है कि उन्होंने काफी दबाव में रहकर वार्ता की है।

तीन प्रमुख रियायतें : भारत ने अमेरिकी व्यापार निकाय को तीन गंभीर रियायतें दी हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को प्रभावित करेंगी।

ए) भारत अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक वस्तुओं और 'खाद्य व कृषि उत्पादों' के आयात पर शुल्क और गैर–शुल्क बाधाओं को समाप्त या कम करेगा।

बी) वह सस्ते रूसी कच्चे तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करेगा, जो उसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभकारी था, और ऐसे किसी भी खरीद पर अमेरिका को निगरानी की अनुमति देगा, जिससे 25 फीसदी दंडात्मक शुल्क दोबारा लगाया जा सके।

सी) भारत हर वर्ष अमेरिका से 100 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान पुर्जे, कीमती धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद, ईंधन और कोकिंग कोयला, खाद्य और कृषि उत्पाद, आदि, खरीदेगा।

अन्य निर्यातक देशों की कीमत पर वस्त्र उद्योग को लाभ? कपास का मामला

श्री गोयल ने दावा किया था कि भारत का विशाल श्रम–प्रधान क्षेत्र, वस्त्र, रत्न और आभूषण तथा कुछ वाणिज्यिक फसलें जैसे चाय, कॉफी, मसाले आदि इस समझौते से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें अन्य निर्यातक देशों की तुलना में भारत को अमेरिकी बाजारों तक अधिक पहुँच मिलेगी। लेकिन 9 फरवरी को अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसमें उनके वस्त्र और परिधान अमेरिका में शुल्क–मुक्त प्रवेश पाएंगे। इसके बाद श्री गोयल ने पिटे स्वर से घोषणा की कि भारत में अमेरिकी कपास आयात से बने परिधानों को भी वही लाभ मिलेगा। यह एक बहुत कमजोर तर्क है, यह देखते हुए कि भारत लगभग कपास में आत्मनिर्भर रहा है और 2025 में 11 फीसदी कपास आयात शुल्क हटाने से कपास की कीमतें गिर गई हैं। कपास के किसान आज भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि शुल्क हटाने का उद्देश्य उद्योग के लिए कपास की कीमतें कम करना था, लेकिन यह किसानों के लिए हानिकारक साबित हुआ। इसकी स्थिति इस बात से स्पष्ट है कि कच्ची कपास बाजार में 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है, जबकि घोषित एमएसपी 7,710 और 8,100 रुपये प्रति क्विंटल है। यह एमएसपी भारतीय लागत पर केवल A2+FL है और C2+50 फीसदी से काफी कम है, जो 10,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए।

अमेरिकी किसान उच्च स्तर की सरकारी सहायता का लाभ उठाते हैं, जबकि भारतीय कपास किसानों ने एमएनसी–नेतृत्व वाली उदारीकृत वाणिज्यिक खेती से सबसे अधिक नुकसान झेला है और भारी कर्ज के कारण किसानों में आत्महत्या की सबसे ऊँची दर दर्ज की है। भारत के कपास क्षेत्र व्यापक किसान आत्महत्याओं के लिए कुख्यात हैं। कृषि संकट के कारण 4 लाख से अधिक किसान और मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं और वे मुख्यतः कपास उगाने वाले क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इस पर सरकार की घोर असंवेदनशीलता विशेष रूप से अक्षम्य है।

अमेरिकी कृषि सब्सिडी :

अमेरिका में किसान भारी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। 2018 के फार्म बिल्स सेफ्टी नेट के अनुसार, अमेरिकी सरकार अपने किसानों को प्रत्येक फसल के लिए संदर्भ मूल्य से नीचे कीमत गिरने पर प्राइस लॉस कवरेज प्रदान करती है। यह कृषि जोखिम कवरेज भी प्रदान करती है। एक फसल बीमा सब्सिडी है जिसमें लगभग 62 फीसदी प्रीमियम सरकार द्वारा चुकाया जाता है। यह बाजार सहायता ऋण और तदर्थ आपातकालीन आपदा सहायता भी प्रदान करती है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इनमें से 60 से 80 फीसदी मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चावल, ज्वार, जौ, जई, तिलहन, मूंगफली, डेयरी और पशुधन को जाते हैं। तुलना में अमेरिका में ईंधन की कीमतें भारत की आधी हैं। अमेरिकी सरकार मिट्टी स्वास्थ्य, जल गुणवत्ता सुधार और कार्बन संधारण को बढ़ावा देने के लिए खेती परती रखने का भी मुआवजा देती है, जो उनके पर्यावरण गुणवत्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत है।

व्यापक सामाजिक–आर्थिक संरचनात्मक असमानता :

ये उपाय अमेरिकी किसानों को औद्योगिक पैमाने पर फसल उत्पादन और सस्ते दामों पर बिक्री करने में सक्षम बनाते हैं। कुछ वर्षों में इन सब्सिडियों का औसत प्रति किसान 30,782 डॉलर रहा है, जो 18.2 लाख अमेरिकी किसानों के लिए लगभग 28.6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इसके विपरीत भारतीय किसान भारी कर वाले डीजल, पेट्रोल, बिजली और कृषि उपकरणों के कारण नकारात्मक सब्सिडी झेलते हैं। उन्हें उर्वरकों पर सब्सिडी और पीएम–किसान के तहत मात्र 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। यह 11 करोड़ परिवारों को कवर करता है, जिसमें भूमिहीन और किरायेदार किसान शामिल नहीं हैं। भारत और अमेरिका में कृषि पर निर्भर कार्यबल का हिस्सा बहुत अलग है, भारत में कृषि पर आधे से अधिक कार्यबल निर्भर है और अधिकतर शारीरिक श्रम है। अमेरिका में औसत खेत आकार 469 एकड़ है और 60 फीसदी से अधिक 2000 एकड़ से बड़े हैं, जबकि भारत में यह केवल 2.67 एकड़ है और 86 फीसदी जोतें 5 एकड़ से कम हैं। दांव पर उनकी आजीविका है। ऐसे में शून्य शुल्क और मुक्त आयात के साथ अमेरिकी फसलों से प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं बचती। यह कॉरपोरेट उत्पादों को भारत के छोटे उत्पादकों के खिलाफ खड़ा कर रहा है।

सस्ते आयात का अलग–अलग कृषि–जलवायु क्षेत्रों पर प्रभाव :

मक्का और गेहूं सहित अनाज, डेयरी और डेयरी उत्पाद, सोयाबीन तेल, डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन, एथेनॉल, फल जैसे सेब और सूखे मेवे व नट्स जैसे बादाम पर शुल्क में कटौती/शून्य शुल्क और गैर–शुल्क बाधाओं को हटाना भारत के सभी कृषि–जलवायु क्षेत्रों में किसानों के बड़े हिस्सों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा करेगा।

भारत ने 'अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों' के आयात के लिए लंबे समय से चले आ रहे गैर–शुल्क बाधा मुद्दे को भी संबोधित करने पर सहमति दी है। जैसा कि अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स ने कहा, यह सौदा अमेरिका को "अपने कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने, कीमतें बढ़ाने और ग्रामीण अमेरिका में नकदी प्रवाहित करने" की अनुमति देता है।

सरकार ने वास्तव में अमेरिका को जीएम खाद्य पदार्थ भारत में बेचने की अनुमति देने पर भी झुकाव दिखाया है, जो अब तक उच्च रासायनिक कीटनाशक/शाकनाशी सामग्री से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के कारण प्रतिबंधित थे। समझौते में कहा गया है कि भारत इस मुद्दे को हल करने पर सहमत हुआ है।

इसका उत्तर देते हुए श्री गोयल ने 7 फरवरी को कहा कि 'जीएम वस्तुएँ' जैसे संवेदनशील आइटम भारत में प्रवेश नहीं करेंगे और अमेरिका को 'मांस, पोल्ट्री, डेयरी, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी,

सामने आत्मसमर्पण है।

साइट्रस फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, एथेनॉल और तंबाकू पर कोई शुल्क राहत नहीं दी गई है। लेकिन उन्होंने ब्रुक रोलिन्स के दावे का खंडन करने से इनकार कर दिया। इस सौदे में यह भी उल्लेख नहीं है कि इन वस्तुओं को बाहर रखा गया है, जैसा कि भारत–ईयू एफटीए में है।

भारतीय सरकार को व्यापार उदारीकरण भारतीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए करना था, न कि अमेरिकी किसानों की। वार्ता दलों की देशभक्ति की साख संदेह के घेरे में है। उन्हें बताना होगा कि वे किसकी आय की रक्षा कर रहे थे।

इस सौदे से प्रभावित विशिष्ट फसल क्षेत्रों पर प्रभाव।

ए) *सेब किसान* :

जम्मू–कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों के लाखों सेब किसान सस्ते आयात और सरकारी समर्थन की विफलता के कारण पहले से ही परेशान हैं। पहले भारत अमेरिका और ईयू से सेब पर 50 फीसदी शुल्क और 80 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य लगाता था, जिससे आयातित कीमत 120 रुपये पड़ती थी। अब दोनों हटा दिए जाएंगे। केवल जम्मू–कश्मीर में ही इससे 35 लाख से अधिक सेब किसान, फल तोड़ने वाले, पैकर्स और व्यापारी प्रभावित होंगे।

बी) *मक्का* :

भारत अब तक 5 लाख टन तक मक्का आयात पर 15 फीसदी और इससे अधिक पर 50 फीसदी शुल्क लगाता है। इसे शून्य कर दिया जाएगा। अमेरिका हर साल 377 मिलियन टन मक्का पैदा करता है, जिसमें 94 फीसदी जीएम है। भारत केवल 43 मिलियन टन पैदा करता है। मक्का पोल्ट्री और पशुधन का मुख्य चारा है।

सी) *एथेनॉल* :

मिश्रण के लिए बनने वाले एथेनॉल का 46 फीसदी से अधिक मक्का से और केवल 32 फीसदी गन्ने के रस और शीरे से बनता है। एथेनॉल और मक्का का आयात चीनी उद्योग और गन्ना किसानों को नुकसान पहुँचाएगा। सरकार ने चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाया भुगतान और चीनी मूल्य नियंत्रण के बीच मिलों को गन्ने से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी थी। वह बाजार खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका से एथेनॉल आयात बढ़ रहा है, जून 2025 में 24.2 मिलियन गैलन से नवंबर 2025 में 31.8 मिलियन गैलन तक।

डी) *सोयाबीन* :

अमेरिका ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है और इसमें 96 फीसदी जीएम है, जिसकी उपज 3.4 टन प्रति एकड़ है, जबकि भारत में गैर–जीएम सोयाबीन की उपज केवल 0.9 टन प्रति एकड़ है। सोया तेल और पशु चारे के लिए डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन का आयात भारत के सोयाबीन किसानों और उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदौर ने पहले ही इसके आयात का विरोध किया है।

ई) *दूध और दुग्ध उत्पाद* :

अमेरिका लगभग 36 रुपये प्रति किलो की दर से दूध निर्यात करता है। वह दूध पाउडर, पनीर और मठ्ठा निर्यात करता है। भारी सरकारी समर्थन से अमेरिका में यह संभव है, जबकि भारत के दूध किसान सरकारी समर्थन के अभाव से दिक्कत में हैं। पहले यह शर्त भी लगाई गयी थी कि मासाहारी आहार खाने वाले पशुओं का दूध और दुग्ध उत्पादों का आयात नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूध का आयात नहीं होगा। भारत पहले पनीर पर 30 फीसदी, मक्खन पर 40 फीसदी और दूध पाउडर पर 60 फीसदी शुल्क लगाता था। अब इन्हें शून्य किया जाएगा और मासाहारी आहार समेत अन्य सभी गैर–शुल्क शर्तें भी हटाई जाएंगी, जिससे भारत के 800 लाख से अधिक छोटे दूध उत्पादकों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा।

एफ) *अन्य खाद्यान्न* :

अमेरिका अपने गेहूं उत्पादन का 40 फीसदी लगभग 18.5 रुपये प्रति किलो की दर से निर्यात करता है। शून्य शुल्क पर गेहूं आयात भारत के गेहूं किसानों को तबाह कर देगा।

जी) *पोल्ट्री* :

यह भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मुक्त आयात से खतरे में है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी पशुधन रखने वाले भूमिहीन गरीब वर्गों पर पड़ेगा।

अन्य लक्षित उपाय :

अमेरिका ने भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को निशाना बनाया है। उसने बीज बाजार खोलने, इनपुट सब्सिडी कम करने, फसल खरीद और राशन व्यवस्था समाप्त करने, पेटेंट अधिनियम में संशोधन और ऋण माफी न देने की मांग की है। इसके अलावा वह सैनिटरी उपायों, यानि स्वच्छता संबंधित उपायों में आत्म–प्रमाणन की मांग कर रहा है, जो भारत की जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने इन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

इस बीच अमेरिका ने अपनी घोषणा में कुछ छोटे बदलाव किए हैं, जैसे कुछ दालों को सूची से हटाना और 5 वर्षों में 500 अरब डॉलर की खरीद को "इरादा" बताना। लेकिन अब तक भारत सरकार ने इस पर तथा अमेरिकी अधिकारियों के अन्य दावों पर भी कोई आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया है।

वित्त वर्ष 2026 के बजट पर अमेरिकी व्यापार शर्तों का प्रभाव स्पष्ट था। वित्त मंत्री ने प्रभाव से इनकार जरूर किया, लेकिन डेटा सेंटरों के लिए कर छूट की घोषणा भी की गई। कृषि के लिए भारत विस्तार कार्यक्रम, एग्रीस्टैक डेटा को बढ़ाना और नया बीज विधेयक भी इसी दिशा में हैं, जिनमें अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रमुख खिलाड़ी हैं।

द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढ़ाचें पर उक्त सहमति भारत की जनता तथा किसानो के हितों के विरुद्ध है। इसके खिलाफ व्यापक आदोलन जरुरी है।

जन हस्तक्षेप (दिल्ली) : अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ संगोष्ठी

संविधान में सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की सभी विधाओं में बोलने की आजादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपनी संस्कृति के अनुरूप खाने–पीने, पहरावे और अपनी मान्यताओं के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता है। इन तमाम विविधताओं का संरक्षण कानून देता है। लेकिन आरएसएस–बीजेपी की सरकारों के दौर में ये अधिकार छीने जा रहे हैं या उन्हें कमजोर किया जा रहा है। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों में अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व सरमा के नफरती विचार और बोली कम पड़ रही थी कि वह बाकायदा मुस्लिमों पर डिजिटल बंदूक से निशाना साधते वीडियो जारी करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं एनकाउंटर और बुलडोजर राज है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड भी पीछे नहीं हैं। इन स्थितियों के मद्देनजर जन हस्तक्षेप ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में 26 फरवरी 2026 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया। "अल्पसंख्यकों पर हमला– कानून के राज पर निशाना" विषयक गोष्ठी में बड़ी संख्या में प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, साहित्य कर्मी और बुद्धिजीवी उपस्थित थे और बीते 12 वर्षों में देश के तेजी से बदल रहे हालात पर चिंता व्यक्त की।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ आरएसएस–बीजेपी और उसकी सरकारों द्वारा देश में फैलाई जा रही नफरत का एक नरेटिव है। ताकि जनता का ध्यान असल बुनियादी सवालों– मजदूर, किसान, बेरोजगार, छात्र, युवा, महिलाओं की तकलीफों और बेरोजगारी, भूख, शिक्षा जैसे सवालों से ध्यान भटकाया जा सके। ऐसे में जरूरी है कि देश के नागरिक और बुद्धिजीवी जनता के बुनियादी सवालों पर निरंतर इस तरह के संवाद कायम रखें और जनता के सरोकारों से जुड़ते रहें। सभा को मुख्य रूप से पूर्व आईएएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर, डीयू के पूर्व प्रोफेसर और सांस्कृतिक कर्मी शम्सुल इस्लाम, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और मानवाधिकार वादी कार्यकर्ता सुश्री शाहरुख आलम, डीयू प्रोफेसर अपूर्वानंद, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अशोक पांडा और जेएनयू के डॉक्टर विकास बाजपई ने संबोधित किया। वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे ने चर्चा के लिए विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की। संगोष्ठी की शुरुआत शम्सुल इस्लाम द्वारा प्रस्तुत गीत से हुई और संचालन डॉक्टर वाजपेई ने किया।

हर्ष मंदर ने कहा कि 12 वर्षों से नफरत की राजनीति ने अब शर्म के सारे पर्दे गिरा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जैसे नफरती भाषण दिए, उसी का परिणाम है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री उनसे और ज्यादा नफरती बोल बचन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश आज फिर 1947 में उस समय के लोगों ने तय किया था कि हम पाकिस्तान जैसा हिंदू राष्ट्र का रास्ता नहीं लेंगे, लेकिन आज उसे बदला जा रहा है। हर तरह की आजादी पर हमले बढ़ रहे हैं, जबकि भारत विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृतियों का देश है। उन्होंने नाजी जर्मनी से तुलना करते हुए कहा कि आज देश में लगभग 20 से अधिक ऐसी चीज हो रही हैं जो नाजी जर्मनी में हो रहा था। लोगों के खाने–पीने अपनी धार्मिक गतिविधियों, पहरावे पर लिंचिंग हो रही है और उसे गौरांवित भी किया जा रहा है। नाजी जर्मनी में जैसा सिनेमा, साहित्य और पत्रकारिता का दौर था वह यहां भी देखा जा रहा है।

शमशुल इस्लाम ने बीते एक दशक से देश में बढ़ रहे नफरती बयानों, प्रशासनिक निष्क्रियता और घटनाओं का ब्यौरा देते हुए आरएसएस की उत्पत्ति का इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या इसलिए हुई, क्योंकि वह भारत को हिंदुओं और मुस्लिमों का साझा देश मानते थे। इस सोच के खिलाफ ही डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। सावरकर और गोलवलकर की किताबें हिटलर के 'मीनकैंफ' किताब की विचारधारा से भी अधिक खतरनाक हैं। शाहरुख आलम ने कहा कि इस माहौल में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम आज क्या करें। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिला स्तर पर कमेटियां बननी चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों पर काम करें। उनको राहत दें और अदालतों तथा पुलिस संबंधी मदद दें। इस तरह की बैठकें और गोष्ठियां देश भर में करने की कोशिश की जानी चाहिए।

अपूर्वानंद ने कहा कि बीते 12 वर्षों में लिंचिंग की सैकड़ों घटनाएं हुईं, हजारों लोगों पर बुलडोजर चले और विस्थापित किए जा चुके हैं और वह दिन दूर नहीं, जब हम अपने आसपास मुस्लिम नाम के साइन बोर्ड, कारोबारी और मुस्लिम संस्कृति के अनुरूप पहनावा भी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुसलमान जनवादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यही कारण है कि तमाम प्रयासों के बावजूद नफरती विचार उस हद तक नहीं बढ़ रहा, जैसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अदालतें लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक हैं। चंद्रचूड़ जब मुख्य न्यायाधीश बने, तो उन्होंने कहा था कि बहुसंख्यक राज में अदालत की भूमिका बढ़ जाती है, लेकिन हमने देखा कि अदालतों ने इसके विपरीत ही काम किया। एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, लेकिन इतिहास से मुस्लिम शासकों का पीरियड हटाए जाने पर वह खामोश है।

अशोक पांडा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता ऐतिहासिक विरासत है और मौजूदा स्थितियों में महंगाई, बेरोजगारी और मजदूर व किसानों का संयुक्त संघर्ष ही सही उपाय और रास्ता है। गोष्ठी का समापन करते हुए विकास बाजपई ने कहा कि आज के हालात में उम्मीद बनाए रखने की जरूरत है। निराशा और मायूसी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मजदूर, किसान, छात्र, युवा, बेरोजगार और आम जनता जिंदगी के रोजाना के सवालों से जूझ रही है और उस जद्दोजहद में संघर्ष के नए तरीके भी खोज रही है। और उनसे हमको सीखने की जरूरत है। जनता ही हर समस्या की मार्ग दर्शक होती है।

हदबंदी भूमि वापस ले रही नितीश सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज

बिहार का भूमि संघर्ष आरएसएस–बीजेपी समर्थित नितीश सरकार में गंभीर मोड़ लेता जा रहा है। भूदान और बाद में सीलिंग कानून के तहत जमीनों का वितरण तो दूर की बात है, हदबंदी कानून के तहत लंबे संघर्ष के बाद जिन कुछ जमीनों

को भूमिहीन मजदूरों को आवंटित भी किया गया था, उसे जमींदार तो छीन ही रहे हैं, अब राज्य सरकार भी विकास और प्रशासनिक भवन बनाने के लिए भूमिहीनों के नाम जमीन का पर्चा जोर जबरदस्ती और चोरी छिपे रद्द किया जा रहा है। इसके खिलाफ सैकड़ों भूमिहीन किसान–मजदूर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में 6 फरवरी 2026 को कौड़ीराम गांव 700–800 भूमिहीन किसान में एकत्र हुए, मंडल मुख्यालय मोहनिया तक झंडा बैनर लेकर नितीश सरकार और उसके भ्रष्ट सामंतवादी प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए 3 किमी तक जुलूस निकाल कर सभा की और 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया। बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया मंडल के अंतर्गत मोहनिया थाना के गांव कौडीराम के तहत खाता नंबर 48 खसरा नंबर 243 रकबा 4 एकड़ हदबंदी भूमि पर पर्चाधारी भूमिहीनों की फसल नष्ट कर उक्त भूमि पर यातायात थाना एवं अन्य सरकारी भवनों के निर्माण की कोशिश हो रही है। इसके लिए चोरी छिपे राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। इसके खिलाफ एआईकेएमएस बैनर तले पर पर्चाधारी किसान व भूमिहीन मजदूर आंदोलनरत हैं।

किसानों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि ग्राम कौडीराम के कब्जाधारी पर्चाधारियों की बेदखली को रोकने, फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच करने, उक्त जमीन पर प्रशासन द्वारा नष्ट की गई फसलों का मुआवजा देने, गांव मुड़्रिया में हदबंदी की भूमि को हाई कोर्ट के आदेश के तहत भूमिहीनों के बीच वितरित करने और पर्चा देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। 11 सूत्री मांग पत्र में आरएसएस–बीजेपी सरकार द्वारा वीबी– जी राम जी योजना को रद्द कर मनरेगा कानून को पुनः बहाल करने, भूदान और बिहार में सीलिंग कानून के तहत एकत्र हुई जमीनों का वितरण एवं कब्जा दिलाने तथा बेघर भूमिहीनों को आवासीय भूमि देने की मांगे भी शामिल हैं। मंडल मुख्यालय मोइनिया पहुंचकर जुलूस आम सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता और संचालन एआईकेएमएस के कैमूर जिला सचिव का. फरसानी राम ने किया।

सभा को का. फरसानी राम और संगठन के प्रांतीय सचिव का. अयोध्या राम के अलावा का. राम इकबाल भारती, का. सुदामा राम, का. लाल बाबू पासवान, का. मुसाफिर राम, का. विनोद राम, का. श्री कवल राम, का. दिनेश कुमार एवं भभुआ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विजय गुप्ता आदि ने संबोधित किया। विरोध सभा के दौरान सांस्कृतिक कर्मी लाल बाबू राम ने अपने क्रांतिकारी गीतों के जरिए किसान संघर्षों और उसकी विजय गाथा को प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने अपने भाषण में कैमूर जिले में भूमि संघर्ष को तेज करने और सामंतों, पुलिस एवं भ्रष्ट अफसरशाही के गठजोड़ को अपने तीखे संघर्षों से मुह तोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। 11 सूत्री मांग पत्र मोहनिया मंडल के अधिकारी को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा।

वक्ताओं ने कहा कि ग्राम कौड़ीराम में भूमिहीनों के बीच वितरित एवं उनके कब्जे की चार एकड़ हड़बड़ी की भूमि पर अंचल व थाना मोहनिया के अधिकारियों ने यातायात थाना एवं अन्य सरकारी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव जनता के चोरी छिपे बनाकर राज्य सरकार को भेजा था, जिसे नितीश कुमार सरकार ने मंजूरी दे दी है। पर्चाधारियों के भारी विरोध एवं न्यायालय में चल रहे मुकदमे के बावजूद भी अधिकारियों ने जालसाजी करके अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवा लिया और अब उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्चाधारियों और भूमिहीनों के विरोध के बाद भी उक्त भूमि पर लगाई गई रबी एवं अन्य फसलों को प्रशासन ने नष्ट कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इसके खिलाफ किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि बिहार में भूदान एवं हदबंदी की लाखों एकड़ जमीन है। इसके अधिकांश हिस्से पर जमींदार और भूमाफिया का कब्जा है। थोड़ी बहुत जो जमीन पर्चाधारियों के कब्जे में है, उसे लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद पाया गया था। अब उसे जमींदार और राज्य सरकार पुनः छीनने में लगी है।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार और उसका प्रशासन भूदान और हदबंदी की भूमि के लिए संघर्ष कर रहे भूमिहीनों को डरा–धमका रहा है और उनका दमन किया जा रहा है। इसकी जिंदा मिसाल कौडीराम ग्राम की हदबंदी भूमि के पर्चाधारियों की बेदखली है। हदबंदी कानून की मूल भावना के विरुद्ध सरकार और प्रशासन उस भूमि को पर्चाधारियों से छीन कर प्रशासनिक भवन बनाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। सभा में उपस्थित लोगों से वक्ताओं ने अपील की कि इसके खिलाफ कौडीराम सहित कैमूर जिले के सभी भूमिहीन किसानों, मजूदरों और न्याय पसंद लोगों को सरकार व प्रशासन के नापाक इरादे के खिलाफ संघर्ष चलाना होगा।

कैमूर (बिहार) : निर्दोष दलित युवक की गिरफ्तारी, पिटाई

19 फरवरी 2026 को बिहार राज्य के जिला कैमूर के थाना भगवानपुर बाजार में शाम 4 बजे निकटवर्ती ग्राम तोड़ी निवासी 22 वर्षीय दलित युवक बृजेश कुमार सड़क की दायीं पटरी में एक दुकान के सामने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था कि अनायास एक पुलिस कर्मी ने उसे धमकाकर पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे हो? बृजेश कुमार बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि आपको इससे क्या मतलब है? बृजेश का इतना कहने पर आग–बबूला हो वर्दीधारी व्यक्ति ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ते हए कहा कि साले पहचानते नहीं हो। बेवजह तमाचा खाने के बाद चोट व अपमान के गुस्से में बृजेश सामने वाले वर्दीधारी पर टूट पड़ा। बृजेश के साहसपूर्ण विरोध को देखते हुए अपने आपको भगवानपुर थाना का थानाध्यक्ष बताने वाले व्यक्ति ने मोबाइल से संदेश भेजकर पुलिस बल को बुला लिया। पांच मिनट के भीतर ही पुलिस के आधा दर्जन से भी अधिक पुलिसकर्मी पहुँच गये और चारों तरफ से घेरकर बृजेश को बुरी तरह पीटने लगे और उसे गिरफ्तार कर थाने ले गये। तोड़ी के ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष को यह भी बताया कि बृजेश को कुछ मानसिक बीमारी भी है जिसका इलाज भी चल रहा है। वह कोई अपराधी नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। किन्तु थानाध्यक्ष चन्द्रशेखर शर्मा ने ग्रामीणों की एक नहीं सुनी और ऊपर के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा की एसपी और डीएसपी साहब कहेंगे तो छोड़ देंगे। पुलिस मारपीट में जख्मी बृजेश को गिरफ्तार करने के साथ उसकी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल को जब्त कर लिया। रात भर हिरासत में रखने के बाद बृजेश के विरुद्ध संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया।

बृजेश के पिता मुन्ना राम, माता अतवरिया देवी और भाई दीपक कुमार इस घटना के विरोध में न्याय पाने की गरज से पुलिस उपनिरीक्षक भभुआ से मिले, जिसने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा कि आप लोग एसपी साहब से मिल लीजिए। 21 फरवरी 2026 को जब बृजेश के माता–पिता एवं भाई पुलिस अधीक्षक कैमूर से मिले और बृजेश कुमार की मानसिक बीमारी के बारे में बताते हुए उसके निर्दोष होने की बात कहा तो प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक कैमूर द्वारा की गयी टिप्पणी न सिर्फ कानून व न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाली थी बल्कि आरएसएस–भाजपा के नेतृत्वाधीन नितीश सरकार की पुलिस तंत्र में मनुवादी सामंती शक्तियों की मौजदगी, दबदबा एवं दलित, गरीब विरोधी चरित्र का एहसास करा दिया। पुलिस अधीक्षक कैमूर ने बृजेश कुमार के माता–पिता एवं भाई से कहा कि यदि थानाध्यक्ष की जगह मैं होता तो उसके हाथ–पांव तोड़ देता।

नितीश सरकार में भाजपा कोटे के पुलिस, मिनिस्टर एवं गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कमान सम्भालते ही अपने जनविरोधी कारनामों के जरिये बिहार में फासीवादी पुलिसिया आतंक कायम करना शुरु कर दिया। मिसाल के तौर पर सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा पोषित कुख्यात अपराधियों को छोड़कर पुलिस के सूची में शामिल अन्य अपराधियों को बिहार से बाहर जाने या मरने के लिए तैयार होने का फतवा, अतिक्रमण की आड़ में रेहड़ी–पटरी, फुटपाथी दुकानदारों को मारपीट कर जबरन हटाने, गांवों में सरकारी भूमि पर बसे दलित पिछड़ों एवं कमजोर लोगों की घर व बस्तियां उजाड़ने जैसे कृत्य है। इस प्रकार पुलिस को बिहार में भी आरएसएस–भाजपा अपने फासीवादी शासन का औजार बनाते जा रही है।

नितीश सरकार के गृह मंत्री ने पुलिस पब्लिक मैत्री के जुमले का बिहार में प्रोपगंडा कर रहे हैं। समाज के ऊंचे वर्ग के लोग पुलिस पब्लिक मैत्री के प्रोपगण्डा के तहत कई जगहों में क्रिकेट मैच एवं साझा कार्यक्रमों में एक साथ दिखायी पड़े। पुलिस पब्लिक मैत्री का सच गत 19 फरवरी 2026 को भगवानपुर बाजार में निर्दोष दलित युवक बृजेश कुमार और भगवानपुर थानाध्यक्ष चन्द्रशेखर शर्मा के बीच हुए मामूली टकराव के मामले में सामने आ गया है। भगवानपुर थाना सहित किसी भी अन्य थाने में बृजेश के विरुद्ध कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं है। उसका परिचय जाने बिना उसे तमाचे से मारने का अधिकार थानाध्यक्ष को किसने दिया है? यह आईपीसी की किस धारा के अर्न्तगत है? दरअसल नितीश सरकार और उसका गृह मंत्रालय पुलिस पब्लिक मैत्री के जुमले से केवल अपनी उदंड एवं बेलगाम पुलिस के जन विरोधी कारनामों को ढंकने की कोशिश कर रही है। यह उसके भ्रमक प्रचार का हिस्सा है।

केरल : का. वर्गीज की शहादत के दिन स्मृति सभा

सी.पी.आई (एम.एल) न्यू डेमोक्रेसी की केरल राज्य सांगठनिक कमेटी के नेतृत्व में कॉमरेड ए. वर्गीज की शहादत पर एक स्मृति सभा आयोजित की गईं। इसकी शुरुआत राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड रॉबिन अरयाकंडी ने की और अध्यक्षता कॉमरेड अनीस मार्कोस ने की।

वक्ताओं ने केरल की पिनराई सरकार पर नवउदारवादी और जनविरोधी नीतियाँ लागू करने का आरोप लगाया तथा केंद्र की मोदी सरकार को संघ परिवार के नेतृत्व वाला फासीवादी शासन बताते हुए कहा कि इसकी नीतियों से गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं और देश की संपत्ति अमीरों के हाथों में सिमट रही है। सभा को कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।

ओडिशा : इफ्टू द्वारा आंगनवाड़ी कर्मी के जातीय उत्पीड़न की निंदा

• भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारों की जातिवादी विभाजनकारी राजनीति व नीतियाँ ओडिशा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के परिवार के अपमान और बहिष्कार को बढ़ावा दे रही हैं!

• राष्ट्रीय कमेटी इफ्टू की मांग – इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। राज्य के मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो!

• आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वेतन और अधिकार दिए जाएँ! 4 लेबर कोड इसमें विफल – इन्हें निरस्त किया जाए।

पिछले कई महीनों से ओडिशा के नुगांव गाँव में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को केवल इसलिए सुनियोजित जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसने आंगनवाड़ी चयन परीक्षा पास की, गाँव के केंद्र में नियुक्ति पाई और अपनी ड्यूटी निभाने कार्यस्थल पर जाना शुरू किया। सभी प्रमुख अंग्रेजी दैनिकों की खबरों के अनुसार, जिस दिन उसका परिणाम गाँव में चस्पाया गया, उस दिन 50 सवर्ण पुरुषों ने उसका उत्पीड़न किया। ओडिशा सरकार ने कुछ नहीं किया! महीनों से गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में कोई बच्चा नहीं भेजा गया क्योंकि यह लड़की ड्यूटी पर जाती है। ओडिशा सरकार ने कुछ नहीं किया! परिवार सामाजिक बहिष्कार झेल रहा है। ओडिशा सरकार ने कुछ नहीं किया।

क्योंकि भाजपा वैचारिक रूप से खुले तौर पर मनुवाद को स्वीकार करती है और ओडिशा सरकार तथा भाजपा–नेतृत्व वाली एनडीए केंद्र सरकार ऐसे भेदभाव को बढ़ावा और संरक्षण देती हैं।

यह भेदभाव असंवैधानिक है और देश के कानून के खिलाफ है।

अब जब चारों ओर विरोध और आक्रोश है, तो ओडिशा सरकार अपनी आपराधिक संलिप्तता पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है– 'समझाने' का नाटक कर रही है, दाँतहीन महिला आयोग को भेजने (क्या यह केवल 'महिला' उत्पीड़न है?) और मुद्दे को टालने की रणनीति अपनाई जा रही है।

इफ्टू इस कार्यकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ जातिवादी आतंक की कड़ी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि एससी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएँ तथा कर्तव्य मे़लापरवाही के लिए मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम मांग करते हैं कि गाँव में तत्काल जातिवादी लामबंदी करने वालों को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण देने के बजाय कानून के दायरे में लाया जाए। जातिगत उत्पीड़न अपराध है– इसके लिए राज्य द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ इस तरह के चौंकाने वाले उत्पीड़न की पृष्ठभूमि दोहरी है। पहला, 2014 से केंद्र में सत्तारूढ़ शासकों की खुले तौर पर सवर्ण–शोविवादी विचारधारा का यह वांछित और अनिवार्य परिणाम है।

दूसरा, यह भारत सरकार द्वारा देश भर में लाखों–लाख महिलाओं को, जो आंगनवाड़ी, आशा, मध्यान्ह भोजन और अन्य योजनाओं में कार्यरत हैं, कर्मचारी का दर्जा देने से इनकार का भी परिणाम है। वे देश की मातृ एवं शिशु देखभाल की प्राथमिक जिम्मेदारी उठाती हैं, बदले में उन्हें नगण्य पारिश्रमिक या 'कमीशन' दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा और अधिकार बेहद सीमित या नदारद हैं, कार्यस्थल की सुरक्षा भी नहीं, जबकि उन्हें घर–घर जाना पड़ता है। सरकारें स्वयं इस कार्यबल को अवमूल्यित करती हैं, जिससे सामाजिक उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है।

इहम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए, समान वेतन और अधिकार दिए जाएँ तथा इनके लिए भविष्य की चयन प्रक्रियाओं में सभी आरक्षण प्रावधान लागू किए जाएँ।

केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाए गए 4 लेबर कोड इस कार्य में पूरी तरह विफल हैं। बल्कि वे इस कार्यबल सहित सभी तबकों के अधिकारों और सामाजिक कल्याण उपायों को और कमजोर करेंगे। यदि स्थिति को और बिगड़ने से रोकना है, तो 4 लेबर कोड अविलंब निरस्त किये जाएं।

जब तक इस विशाल कार्यबल को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक सरकार द्वारा इनके श्रम का वर्गीय शोषण जारी रहेगा। तब तक इनके खिलाफ रोजमर्रा का उत्पीड़न जिसमें लैंगिक और जातिगत अत्याचार शामिल हैं, भी जारी रहेगा।

हम सभी ट्रेड यूनियनों और सभी लोकतांत्रिक संगठनों से आह्वान करते हैं कि ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ एससी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की मांग उठाएँ। आइए, तत्काल न्याय और 4 मजदूर–विरोधी लेबर कोड की तत्काल निरस्ती की मांग करें। विशेषकर ओडिशा के मजदूर वर्ग से हम अपील करते हैं कि इस जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ न्याय के लिए उठ खड़े हों।

(इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव का. टी. श्रीनिवास द्वारा 15 फरवरी 2026 को जारी)

दिल्ली: महिला वकीलों द्वारा मांग पत्र जारी

6 फरवरी 2026 को प्रगतिशील महिला संगठन लॉयर्स इकाई की तरफ से तीस हजारी कोर्ट में महिला वकीलों का मांग पत्र जारी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में प्रगतिशील महिला संगठन की महिला वकील सदस्यों के साथ–साथ आम वकील भी उपस्थित थे। प्रगतिशील महिला संगठन ने अपने इस मांग पत्र के माध्यम से महिला वकीलों के लिए समान अवसरों और काम तथा आय के गरिमापूर्ण अवसरों को सुनिश्चित करने की मांग की है ।

प्रगतिशील महिला संगठन ने अपने मांग पत्र में यह उल्लेख किया है कि महिला वकील चाहे नई इनरोल हुई हो जरूरत है जिससे महिला वकीलों को आय एवं काम दोनों सुनिश्चित हो सकें।

मांग पत्र में मातृत्व के दौरान संरक्षण ,कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाव, मेंटरशिप पेनल की स्थापना की मांग की है। PMS के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि देश भर में कुल वकीलों का 15% महिला वकील है जबकि वकालत की पढ़ाई के दौरान महिला छात्राओं की संख्या 50 से 70% होती है। इतनी कम संख्या में महिला वकीलों का एनरोलमेंट होने के पीछे वकालत के पेशे में महिला वकीलों को काम तथा आय की सुनिश्चितता ना होना एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रगतिशील महिला संगठन ने

या फिर कई वर्षों पूर्व इनरोल हो गई हो उनके सामने आय और काम दोनों के ही अवसर सुनिश्चित नहीं है। यूं तो कानून का पेशा ही इस प्रकार का है जिसमें आय तथा काम दोनों की सुनिश्चितता नहीं है परंतु महिला वकीलों के लिए स्थिति महिलाओं के समाज में दोहरे दर्जे के कारण और गंभीर हो जाती है। उन्हें अपनी बौद्धिक क्षमता के पूर्ण उपयोग के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं और इसके लिए राज्य द्वारा ठोस नीतियों को बनाने की अपने मांग पत्र के द्वारा विधि सम्बन्धित नौकरियां, नियुक्तियों तथा पैनल्स में महिला वकीलों के लिए 50% आरक्षण, महिला वकीलों को रोटेशन के आधार पर पैनल में काम की सुनिश्चितता, महिला वकीलों के लिए काम के नए अवसर जैसे सभी न्यायिक तथा क्वासी न्यायालय परिसरों में महिला हेल्पडेस्क की स्थापना, ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट, बार काउंसिल द्वारा नई महिला वकीलों को स्टाइपेंड देना आदि मांगें की गई हैं।

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) : आंगनवाड़ी कर्मियों का विशाल धरना

2 मार्च को आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में आंगनवाड़ी कर्मियों ने विशाल धरना दिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त संघर्ष कमेटी ने किया जिसमें इफ्टू, सीटू तथा एटक शामिल हैं। इस धरने में लगभग 8,000 आंगनवाड़ी कर्मियों ने भाग लिया।

इस धरने का आयोजन पूर्व में हुए समझौते को लागू कराने के मुद्दे पर किया गया। उक्त समझौता दिसम्बर 12 से जनवरी 22, 2024 तक चली 42 दिन की हड़ताल के बाद किया गया था।

इस समझौते विशेषकर वेतन वृद्धि को लागू कराने के लिए क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। इस धरने को इफ्टू की ओर से का. भारती, का. वी. आर. ज्योति, पी..ओ.डब्लू. अध्यक्ष का. लक्ष्मी, इफ्टू प्रांतीय नेता का. हरिकृष्णा तथा अखिल भारतीय उपाध्यक्ष का. पी. प्रसाद ने संबोधित किया।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

पानीपत रिफाइनरी : कानूनी अधिकारों के लिए उभरता व्यापक मजदूर संघर्ष

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की पानीपत ऑयल रिफाइनरी में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ श्रमिक आंदोलन देश के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आया। यह संघर्ष केवल वेतन वृद्धि का सवाल नहीं था, बल्कि 12 घंटे के कार्य दिवस, ठेका श्रम व्यवस्था, श्रम कानूनों के उल्लंघन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और प्रशासनिक दमन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की अभिव्यक्ति था।

यह आंदोलन बड़े पैमाने पर 23 फरवरी 2026 के आसपास शुरू हुआ, जब रिफाइनरी की विस्तार परियोजना (P–25) में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने काम बंद कर रिफाइनरी के गेट नंबर 1, 3 और 4 पर जमा होना शुरू किया। शुरुआती दिनों में ही हजारों मजदूर धरने और प्रदर्शन में शामिल हो गए। विभिन्न समाचार स्रोतों और श्रमिक संगठनों के अनुसार इस परियोजना में कुल मिलाकर लगभग 30,000 से 40,000 के बीच ठेका और निर्माण श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से बड़ी संख्या आंदोलन से प्रभावित थी या उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी।

आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः ठेका निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने किया। यह आंदोलन एकाएक नहीं फूट पड़ा, बल्कि यह बहुत दिनों से मजदूरों में सुलग रहे गुस्से का विस्फोट है। यहां अभी यहां मजदूरों का कोई संगठन या यूनियन नहीं है।

आंदोलन की पृष्ठभूमि लंबे समय से पनप रहे असंतोष में निहित थी। श्रमिकों का आरोप था कि उनसे नियमित रूप से 12–12 घंटे काम लिया जाता है, जबकि भुगतान 8 घंटे के हिसाब से किया जाता है। ओवर टाइम का भुगतान या तो नहीं किया जाता या अधूरा दिया जाता है। वेतन 2 से 3 महीने तक लंबित रहता है। कुछ मामलों में बैंक खाते में वेतन जमा होने के बाद ठेकेदारों द्वारा नकद राशि वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। ईएसआई के नाम पर कटौती होने के बावजूद रिफाइनरी क्षेत्र में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। श्रमिक टीन की छतों वाली अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, जहाँ न पर्याप्त वेंटिलेशन है और न स्वच्छ पानी व शौचालय की उचित व्यवस्था।

श्रमिकों की प्रमुख मांगें थीं कि 12 घंटे की ड्यूटी समाप्त कर 8 घंटे का कार्य दिवस लागू किया जाए, अतिरिक्त समय के लिए डबल ओवर टाइम दिया जाए, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए, वेतन को 'ग्रेड C' के बजाय उच्च श्रेणी के अनुरूप निर्धारित किया जाए, हड़ताल अवधि में वेतन कटौती न हो तथा दर्ज सभी एफआईआर और मुकदमे वापस लिए जाए।

26 फरवरी को केंद्रीय श्रम विभाग, प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में 8 घंटे का कार्य दिवस और समय पर वेतन भुगतान जैसी कुछ मांगों पर सहमति बनने की बात सामने आई, किंतु वेतन को 'ग्रेड C' श्रेणी में ही रखने पर प्रबंधन अड़ा रहा। श्रमिक प्रतिनिधियों ने इस आधार पर समझौते से इनकार कर दिया।

विस्तार परियोजना P–25 में स्थल पर बड़े ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) तथा विभिन्न पैकेज ठेकेदार कार्यरत हैं। सार्वजनिक रिपोर्टों और परियोजना दस्तावेजों से पता चलता है कि लार्सन एण्ड टुब्रो (एलएंडटी हाइड्रोकार्बन / एलटीईएच) पानीपत P–25 विस्तार के प्रमुख पैकेजों के लिए मुख्य ईपीसी ठेकेदार के रूप में कार्यरत रही है। परियोजना दस्तावेजों या कंपनियों की आधिकारिक परियोजना सूचनाओं में जिन अन्य ठेकेदारों, उप–ठेकेदारों और विशिष्ट विशेषज्ञ फर्मों के नाम आते हैं, उनमें वी०आर०सी० ग्रुप, ए०एन०एच० कंस्ट्रक्शन, थाइसेंक्रुप इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस (और उससे जुड़े पैकेज विक्रेता) तथा कई मैकेनिकल और पाइपिंग उप–ठेकेदार शामिल हैं (जैसे जैक्सन इंजीनियर्स सहित अन्य कंपनियों के नाम आईओसीएल की विक्रेता सूचियों और पैकेज दस्तावेजों में मिलते हैं)।

ध्यान देने योग्य है कि स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की आपूर्ति कई स्तरों वाले उप–ठेकेदारों और स्थानीय श्रम ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है। अधिकांश श्रमिकों के प्रत्यक्ष नियोक्ता यही छोटे श्रम ठेकेदार होते हैं, जिसके कारण वेतन भुगतान और आउटसोर्सिंग की श्रृंखला लंबी और जटिल हो जाती है।

पानीपत का यह संघर्ष अलग–थलग घटना नहीं है। सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में भी ठेका मजदूरों ने 12 घंटे के कार्य दिवस और वेतन संबंधी मुद्दों पर आंदोलन किया था। इसी प्रकार बरौनी में आईओसीएल परियोजनाओं से जुड़े श्रमिकों ने वेतन, सुरक्षा और भुगतान अनियमितताओं के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। तीनों स्थानों में समान तत्व स्पष्ट हैं – ठेका एवं बहु–स्तरीय उप–ठेका व्यवस्था, कार्य घंटों का अत्यधिक विस्तार, ओवर टाइम भुगतान में अनियमितता, वेतन में देरी और श्रमिक सुविधाओं का अभाव।

इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) की टीम ने दिनांक 1 मार्च 2026 को पानीपत में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में मजदूर बस्तियों का दौरा किया और श्रमिकों से मिले। इफ्टू प्रदेश संयोजक कॉमरेड पीपी कपूर, इफ्टू दिल्ली कमेटी उपाध्यक्ष कॉमरेड मृगांक, कॉमरेड रवि, कॉमरेड परदेसी, कॉमरेड गुल मोहम्मद की पांच सदस्यीय टीम को शोषण के शिकार रिफाइनरी मजदूरों ने खुल कर अपनी समस्याएं बताईं।

इफ्टू की टीम ने पानीपत में पाया कि प्रशासन के "स्थिति सामान्य" के दावे जमीनी वास्तविकता से मेल नहीं खाते। उपरोक्त वर्णित परिस्थियां सही हैं साथ ही श्रम कानूनों के उल्लंघन, ईएसआई सुविधा की अनुपस्थिति और कथित रूप से 'माइनस रेट' पर दिए गए ठेकों के कारण लागत का भार मजदूरों पर डाले जाने की शिकायतें व्यापक थीं। टीम ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से हस्तक्षेप कर श्रमिकों की मांगें लागू करने तथा दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की।

समग्र रूप से देखा जाए तो पानीपत रिफाइनरी का यह आंदोलन भारत के औद्योगिक ढांचे में बढ़ती ठेका–श्रम निर्भरता की संरचनात्मक समस्या को उजागर करता है। जब स्थायी प्रकृति का कार्य अस्थायी और असुरक्षित श्रम व्यवस्था के माध्यम से कराया जाता है, तब श्रमिक अधिकारों का क्षरण और संघर्ष की स्थिति लगभग अपरिहार्य हो जाती है। साथ ही यह भ रूपस्ट करता है कि ठेका वयवस्था मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने का जरिया है। यह ठेका मजदूरों को कानूनी अधिकारों से वंचित रखने से स्पष्ट है। पानीपत, सूरत और बरौनी की घटनाएँ इस व्यापक प्रवृत्ति का संकेत हैं कि श्रमिक वर्ग अब लंबे कार्य घंटों, वेतन अनियमितताओं और दमन को सामान्य मानने के लिए तैयार नहीं है। यह संघर्ष केवल आर्थिक मांगों का नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण श्रम और वैधानिक अधिकारों की बहाली का प्रश्न बन चुका है।

का. शेलेन मिश्रा को श्रद्धांजली

वरिष्ठ कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता का. शैलेन मिश्रा, जो सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सदस्य और प्रवक्ताओं में से एक थे तथा पार्टी के राज्य मुखपत्र 'बिप्लबी गणलाइन' के प्रकाशक थे, का 27 फरवरी को शाम 7:30 बजे बोलपुर सरकारी अस्पताल में निधन हो गया। निधन के समय उनकी आयु 74 वर्ष थी। का. शैलेन मिश्रा एआईकेएमएस की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के संयुक्त सचिव भी थे।

का. शैलेन 1970 के दशक में क्रांति के सपने के साथ अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले मेधावी छात्रों और युवाओं में से थे। पुलिस की प्रताड़ना और जेल में यातनाएं सहते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में नई जनवादी क्रांति के लक्ष्य और इसके लिए मजदूरों और किसानों के साथ एकता कायम करने के लिए समर्पित कर दिया। बीरभूम जिले में क्रांतिकारी आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका रही और वे पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे।

1977 के बाद उन्होंने अति वामपंथी लाइन का विरोध किया और नक्सलबाड़ी की दिशा में बीरभूम जिले में जन संगठनों और जन संघर्षों का विकास किया। बाद में उन्होंने संघर्ष और संगठन के हित में वकालत के पेशे का भी उपयोग किया।

अपने पूरे जीवन में वे नक्सलबाड़ी और सीपीआई (एमएल) की राजनीति के दृढ़ समर्थक रहे। वे हमेशा सीपीआई (एमएल) के विभिन्न संगठनों के दक्षिणपंथी और अति वामपंथी भटकावों के खिलाफ संघर्षरत रहे। सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी संगठन के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वे संघर्षों के एक अत्यंत कुशल आयोजक थे। मुलुक नरसंहार के खिलाफ और शिव पुर मौजा में भूमि हड़पने के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका स्मरणीय है।

पश्चिम बंगाल में विभिन्न समयों पर सत्ताधारी दलों के आतंक के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में उनकी भूमिका सम्मान के साथ याद की जाती है।

आज के कठिन राजनीतिक समय में उनका निधन कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति है।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति का. सैलेन मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आइए, उनके आदर्शों को ऊंचा रखते हुए क्रांतिकारी संघर्षों को विकसित करें और एकता को मजबूत करें।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी

28 फरवरी, 2026

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकुन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार